राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–691/2024

डॉ. अनिल कुमार जुंडिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. संयुक्त प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
3. डॉ.धनराज चौधरी, हाल पदस्थापित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड जिला चिकित्सालय, डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
4. डॉ. नरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री बद्री लाल चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना–कुचामन।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.10.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी सं.4 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो उप निदेशक के पद पर कार्यरत है, उनका स्थानान्तरण मुख्य चिकत्सिा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना–कुचामन से राजकीय बांगड जिला चिकित्सालय, डीडवाना–कुचामन किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि इसी आलोच्य आदेश में निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण राजकीय बांगड जिला चिकित्सालय, डीडवाना–कुचामन को अपीलार्थी के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डीडवाना–कुचामन किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 डॉ. धनराज चौधरी, कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं, जिन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नहीं लगाया जा सकता था। फिर भी निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित लाभ देने की गरज से उन्हें अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण द्वारा इस अपील में अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.03.2024 पारित कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 की

क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये थे और अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखे जाने के आदेश दिये है, जहां वह चुनौती आदेश पारित होने से पूर्व कार्यरत था। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश पारित होने के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक अन्य आदेश दिनांक 15.03.2024 जारी किया गया, जिससे निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 नरेन्द्र सिंह चौधरी को प्रत्यर्थी संख्या–3 डॉ.धनराज चौधरी के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना–कुचामन के पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि डॉ.नरेन्द्र सिंह चौधरी भी कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) का पद धारण करता है, उन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नहीं लगाया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नया पदस्थापन आदेश जारी किया गया है, जो उचित नहीं है।

2. निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा मुख्य चिकित्सा कार्यालय से राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय, कुचामन डीडवाना में पदस्थापित किया गया है, जिसको किसी भी प्रकार से स्थानान्तरण नहीं माना जा सकता है। यह केवल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पदस्थापन है। आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा डॉ. धनराज चौधरी का स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा डॉ. धनराज चौधरी ने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया। इसलिए उक्त मद में डॉ. धनराज चौधरी के संबंध में लिखे गये तथ्य मौजूद नहीं होने के कारण अपीलार्थी कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। विभाग ने आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा उत्तरदाता को अपने पदानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना–कुचामन सिटी में पदस्थापित किया गया है, जिसकी पालना में उत्तरदाता ने दिनांक 16.03.2024 को कार्यग्रहण कर लिया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 22.02.2024 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमो का उल्लघंन नही है तथा ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण कोई द्वेषतापूर्ण तथा किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नही किया गया है। अपितु प्रशासनिक अति आवश्यकता एवं लोकहित में किया गया है। राज्य सरकार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को प्रशासनिक

आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम है। राज्य सरकार के निर्णय को समय सीमा में नही बांधा जा सकता है।

4. पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर कार्यरत है, जबकि अपीलार्थी के स्थान पर सर्वप्रथम डॉ.धनराज चौधरी निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को पदस्थापित किया था, जो कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद धारण करते हैं। दौरान अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नया पदस्थापन आदेश जारी कर निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 के स्थान पर डॉ. नरेन्द्र सिंह चौधरी निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को पदस्थापित किया गया है, जो कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 भी अपीलार्थी से निम्न पद पर कार्यरत है। अतः निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद धारण करने के लिये सक्षम नहीं है। फिर भी निजी पक्षकारों को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि डॉ. नरेन्द्र सिंह चौधरी को दिनांक 02.01.2012 से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी थी। इसके पश्चात अब निजी प्रत्यर्थी डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद के लिये पदोन्नति प्राप्त करने की योग्यता भी धारण करते हैं। अतः निजी प्रत्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर लगाया जाना उचित है।

5. हम पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण डॉ. विजय लक्ष्मी शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2005(2)WLC(Raj.)690 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> "8. In my considered opinion, looking to the entire facts and circumstances just narrated above, since the post, which was being held by the petitioner, was the post of Senior Specialist (Gyne.) and since the petitioner was also holding the post of Principal Medical Officer, Bhilwara, therefore, the respondent. No. 4 Dr. Arun Kumar Chouhan, who is Junior Specialist (Gyne.) could not be transferred or posted against that post, which was meant for Senior Specialist (Gyne.) and if he has been transferred and posted against the post, which was being held by the petitioner i.e. Senior Specialist (Gyne.) and Principal Medical Officer, in such a situation, it can reasonably be inferred or concluded in clear terms that the said transfer was made to adjust respondent No. 4 Dr. Arun Kumar Chouhan."

6. वर्तमान प्रकरण में भी अपीलार्थी उच्च पद पर कार्यरत है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 डॉ. नरेन्द्र सिंह चौधरी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है, जो निम्न पद है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद उप निदेशक के पद के समकक्ष है एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी निम्न पद है। अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना–कुचामन में अपीलार्थी के स्थान पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को पदस्थापित किये जाने और अपीलार्थी को उसी स्थान पर अन्य पद पर पदस्थापित किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। यह प्रकट होता है कि केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। निजी प्रत्यर्थी का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद को धारण करने के लिये समस्त योग्यता रखता है, इस कारण उन्हें इस पद पर लगाया जाना उचित है। हम पाते हैं कि निजी प्रत्यर्थी नरेन्द्र सिंह चौधरी को उप निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर अभी तक पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर लगाये जाने का आदेश न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस अपील के लम्बित रहने के दौरान प्रत्यर्थी विभाग ने एक अन्य आदेश दिनांक 15.03.2024 पारित कर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 डॉ. नरेन्द्र सिंह चौधरी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना–कुचामन के पद पर पदस्थापित किया था, जो उचित नहीं है। वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 उसी पद पर कार्यरत हो गये हैं, जिस पद पर पूर्व में अधिकरण के अंतरिम आदेश की पालना में अपीलार्थी कार्यरत हैं। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 डॉ. नरेन्द्र सिंह चौधरी को अन्यत्र पदस्थापन किये जाने के आदेश नये सिरे से पारित करें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)